न्यायालयः— उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 200 / 08 वाद पत्र

1. मोतीलाल पिता माधुजी मुतबन्ना रतनलाल जी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. हीरालाल पिता माधुजी मुतबन्ना स्व0 पुनाजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

——वादीगण

बनाम

1. हीरालाल पिता माधुजी मुतबन्ना स्व0 पुनाजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 **(न्यायालय आदेश से वादी नं0 2 बनाया गया)**
2. शम्भूलाल पिता माधुजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. लक्ष्मण पिता माधुजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4. देवीलाल पिता माधुजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

——प्रतिवादीगणगण

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1— नरेन्द्र वैष्णव — अधिवक्ता वादी नं0 1
2— अनिल पाटीदार — अधिवक्ता वादी नं0 2
3— सुरेन्द्र कुमार ओझा — प्रतिवादीगण

दिनांक 31-5-22

::निर्णय::

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 ,188 राज0का0अधि0 का पेश कर निवेदन किया कि—

कि मौजा अरनिया जोशी में स्व0 लालुरामजी के खाते की आराजीयात जिसके पुराने आराजी नं0 12, 13, 14, 15, 35, 36, 48, 53, 100, 101, 102, 134, 135, 560/12, 570/107, कुल किता 15 कुल रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा स्थित हैं जिसके नये आराजी नं0 100 रकबा 0.2100हे0, आराजी नं0 101 रकबा 0.4500 हे0, आराजी नं0 156 रकबा 0.0500 हे0, आराजी नं0 157 रकबा 0.3900 हे0, आराजी नं0 158 रकबा 0.4300 हे0, आराजी नं0

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

20/833 रकबा 0.0200 हे0, आराजी नं0 215 रकबा 0.1800 हे0, आराजी नं0 216 रकबा 0.0900 हे0, आराजी नं0 239 रकबा 0.2000 हे0, आराजी नं0 3 रकबा 0.2700 हे0, आराजी नं0 34 रकबा 2.2300 हे0, आराजी नं0 35 रकबा 0.2100 हे0, आराजी नं0 4 रकबा 0.2500 हे0, आराजी नं0 5 रकबा 0.3700 हे0, आराजी नं0 6 रकबा 0.1400हे0, आराजी नं0 76 रकबा 0.7300हे0 कुल किता 16 कुल रकबा 6.2200हे0 स्थित हैं। उक्त वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की है।

यह कि उक्त आराजीयात वादी लालुरामजी की मृत्यु के वाद उनके तीनो पुत्रो माधुलाल, चुन्नीलाल व रतनलाल के खाते में दर्ज हुई माधुलालजी की मृत्यु दिनांक 23/01/1985 को, रतनलालजी की मृत्यु दिनांक 13/09/2003 को हुई, चुन्नीलालजी की मृत्यु हो चुकी है चुन्नीलालजी रतनलालजी के कोई औलाद नही हुई चुन्नीलालजी ने अपने जीवन काल में हीरालाल को गोद रखा वर्तमान में सभी भूमि वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज हुई, तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने एक इकरार नामा भी दिनांक 27/05/2002 को लिखा जिसमे स्पष्ट रुप से उक्त कृषि भूमि में मोतीलाल का 1/3 हिस्सा, हीरालाल का 1/3 हिस्सा, तथा शेष प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा रहेगा इसी अनुसार मौके पर काविज है उक्त अनुबंध के आधार पर वादी उक्त वादग्रस्त आराजीयात के1/3 भाग का खातेदार घोषित फरमाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण के मन मे वदनियती आ गई है और वे वादी के हिस्से व कब्जे की जमीन पर कब्जा कर उसे बेदखल करना चाहते है वादी ने खातेदारी मे संशोधन करने के लिए सहयोग करने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादी ने आना कानी की और कहा कि माधुलाल की जमीन का 1/5 हिस्सा ही तुम्हारे आता है इस कारण हम तुम्हे वेदखल कर देगे इस लिए वाद प्रस्तुत करने की नौवत आई इस आशय का वाद पेश किया हैं।

इस आशय का वाद वादी ने पेश किया, वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादी नं0 1 द्वारा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया और अपने जवाब में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी हीरालाल चुन्नीलालजी का गोदी पुत्र होने से उक्त 1/3 हिस्सा हीरालाल के नाम घोशित कराने हेतु काउण्टर क्लेम पेश किया, तथा प्रतिवादी नं0 2,3,4 ने अपना जवाब दावा मय काउण्टर क्लम पेश किया जिसमें वादी व प्रतिवादीगण लेहरीबाई का संयुक्त 1/6-1/6 हिस्सा दर्ज कराने का काउण्टर क्लेम पेश किया। दोनो पक्षो के अभिवचन के आधार पर तनकीयात कायम की गई व प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

राजीनामा हो जाने से दोनो पक्षो की ओर से राजीनाम पेश हुआ और राजीनामा प्रस्तुत कर दोनो पक्षो द्वारा राजीनामें मे वर्णित अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी नं0 1 मोतीलाल को रतनलाल के यहां गोद चले जाने से रतनलालजी वाला 1/3 हक हिस्सा वादी नं0 1 मोतीलाल के नाम खातेदारी में घोषित किया जावे, तथा चुन्नीलालजी के यहां वादी नं0 2 हिरालाल के गोद चले जाने से चुन्नीलालजी वाला 1/3 हिस्सा वादी नं0 2 हीरालाल के घोषित किया जावे तथा शेष प्रतिवादी नं0 2,3,4 माधुलालजी के जाईन्दा पुत्र होने से माधुलालजी वाला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 शम्भुलाल,प्रतिवादी नं 03 लक्ष्मण, प्रतिवादी नं0 4 देवीलाल के नाम घोषित किया जावें इसी अनुसार वाद वादी राजीनामे अनुसार डिकी फरमाया जावें। दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर व राजीनामे के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया व दस्तावेजात अवलोकन किया गया, उभय पक्षो की बहस पर मनन करने व राजीनामे को दृष्टीगत रखते हुवे वाद वादी राजीनामे अनुसार डिकी किया जाता है व यह घोषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी नं0 1 का वादग्रस्त भूमि का 1/3 हक हिस्से का खातेदार का तकार घोषित किया जाता है, वादी नं0 2 हीरालाल का 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष प्रतिवादी नं0 2 शम्भुलाल, प्रतिवादी नं 03 लक्ष्मण, प्रतिवादी नं0 4 देवीलाल का संयुक्त 1/3 हक हिस्से यानि प्रतिवादी नं0 2,3,4 प्रत्येक का 1/9–1/9 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दराम किया जावें। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

चन्द्रशेखर पारीक (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा